चुनावों में NOTA को शामिल किये जाने की अनिवार्यता

प्रिलिम्स के लिये:

जनहित याचिका (PIL), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, NOTA, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का सर्वोच्च न्यायालय

मेन्स के लिये:

'निर्विरोध निर्वाचित होने' के परिणाम, NOTA से संबंधित महत्त्व और चुनौतियाँ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, NOTA की प्रभावशीलता

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा **सर्वोच्च न्यायालय** में एक सार्वजनिक हित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें **सभी चुनावों** में, यहाँ तक कि एकल उम्मीदवार वाले चुनावों में भी, **NOTA (उपर्युक्त में से कोई नहीं)** विकल्प को अनिवार्य करने की मांग की गई है।

भारतीय चुनावों में NOTA क्या है?

- **परिचय:** इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर **"उपर्युक्त में से कोई नहीं" (NOTA)** विकल्प मतदाताओं को **सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार** करने की सुविधा प्रदान करता है, साथ ही उनके मत की गोपनीयता को बनाए रखता है।
- **महत्त्व:** तकनीकी रूप से यह चुनाव परिणाम को प्रभावित नहीं करता है, अर्थात यदि NOTA को किसी भी उम्मीदवार से अधिक मत मिलते हैं तब भी सबसे अधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजेता होता है। किंतु यह नागरिकों को यह शक्ति देता है कि वे चुनावी प्रक्रिया से दूर रहे बिना अपने असंतोष को व्यक्त कर सकें।
- **पृष्ठभूमि: विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट (1999)** में नकारात्मक मतदान की अवधारणा और **50%+1 मतदान प्रणाली** पर विचार किया था, किंतु व्यावहारिक चुनौतियों के कारण इस विषय पर कोई **अंतिम सिफारिश नहीं** दी गई।
  - वर्ष **2004** में, **पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (PUCL)** ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि **निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961** मतदाता गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं क्योंकि वे मतदान न करने वालों की पहचान दर्ज करते हैं।
    - सितंबर 2013 में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को निर्देश दिया कि वह **PUCL बनाम भारत संघ मामला, 2013** में दिये गए निर्देश के अनुसार **NOTA (इनमें से कोई नहीं) विकल्प** को लागू करे, ताकि मतदाताओं की पसंद की गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- **NOTA का उपयोग:** NOTA **लोकसभा**, **राज्य विधानसभा** और **पंचायत चुनावों** में उपलब्ध है, हालाँकि यह सभी स्थानीय निकायों में समान रूप से लागू नहीं है।
  - इसका **पहली बार उपयोग** वर्ष **2013** के **विधानसभा चुनावों** में **छत्तीसगढ़**, **मिज़ोरम**, **राजस्थान**, **दिल्ली** और **मध्य प्रदेश** में हुआ था।
  - लोकसभा चुनावों में **NOTA** का **मत प्रतिशत कम** लेकिन स्थिर रहा है — **2014** में **1.1%, 2019 में 1.04%** और वर्ष **2024** में भी लगभग समान रहा।
    - राज्य चुनावों में, **बिहार** ने सबसे अधिक **2.48% (2015)** रिकॉर्ड किया, इसके बाद **गुजरात 1.8% (2017)** था।

नियम 49-O बनाम NOTA

- **निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961** के नियम **49-O** के अंतर्गत, मतदाताओं को मतदान केंद्र पर मतदान अधिकारी को सूचित करके औपचारिक रूप से मतदान से वंचित रहने की अनुमति थी।
  - इसे **"उपर्युक्त में से कोई नहीं"** प्रकार के विकल्प के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन यह गुप्त नहीं था, क्योंकि **मतदाता द्वारा सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के विकल्प को सार्वजनिक रूप से मतपत्र की गोपनीयता का उल्लंघन** माना गया था।
- **NOTA विकल्प (वर्ष 2013 से)** मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर एक **निर्दिष्ट बटन दबाकर गोपनीय रूप से सभी**

उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की अनुमति देता है, जिससे मतपत्र की गोपनीयता बनी रहती है और मतदाता बिना किसी भय या खुलासे के अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं।

NOTA से संबंधित न्यायिक निर्णय क्या हैं?

- ***[illegible] (1993)*** **सर्वोच्च न्यायालय** ने चुनाव आयोग को EVM में नोटा बटन शामिल करने का निर्देश दिया था।
    - न्यायालय ने इस तर्क पर ज़ोर दिया कि **मतदाता गोपनीयता को बनाए रखा जाना चाहिये,** चाहे व्यक्ति किसी **उम्मीदवार को वोट दे या NOTA का विकल्प चुने,** जिससे मतदाता सशक्त होगा और लोकतांत्रिक भागीदारी मज़बूत होगी।
- ***[illegible], 2018*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि **NOTA विकल्प राज्यसभा (उच्च सदन) चुनावों के लिये अनुपयुक्त है,** क्योंकि यह चुनावी प्रक्रिया को विकृत कर सकता है, **भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता है और राजनीतिक दलबदल को प्रोत्साहित कर सकता है।**
    - परिणामस्वरूप, **न्यायालय ने अप्रत्यक्ष चुनावों से NOTA को हटा दिया।**

अन्य लोकतांत्रिक देशों में NOTA जैसी पहल

- **फिनलैंड, स्पेन, स्वीडन, फ्राँस, बेल्जियम, ग्रीस** जैसे कई यूरोपीय देश मतदाताओं को NOTA के समान मत डालने की अनुमति देते हैं।
- हालाँकि संयुक्त राज्य अमेरिका में मतपत्रों पर औपचारिक NOTA विकल्प नहीं है, फिर भी कुछ राज्य **लिखित मतों की अनुमति देते** हैं, जिससे मतदाता असंतोष की अभिव्यक्ति के रूप में "**उपर्युक्त में से कोई नहीं**" या कोई भी नाम लिख सकते हैं।
- **कोलंबिया, यूक्रेन, ब्राज़ील, बांग्लादेश** जैसे अन्य देश भी मतदाताओं को NOTA पर मत डालने की अनुमति देते हैं।

सभी चुनावों में नोटा को अनिवार्य रूप से शामिल करने से संबंधित तर्क क्या हैं?

अनिवार्य NOTA विकल्प के पक्ष में तर्क

- **मतदाता विकल्प का विस्तार:** NOTA **मतदाताओं को सभी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का अधिकार देता है, जिससे उन्हें मतदान से वंचित किये बिना भी अपनी अस्वीकृति व्यक्त करने की अनुमति मिलती है,** जिससे मतदाता स्वायत्तता बढ़ती है।
- **निर्विरोध चुनावों में मतदाता के विकल्प को बरकरार रखता है:** NOTA यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता एकल-उम्मीदवार चुनावों में भी असहमति व्यक्त कर सकें, जिससे **लोकतांत्रिक विकल्प सुरक्षित रहता है।**
- **राजनीतिक जवाबदेही बढ़ाना:** NOTA की उपस्थिति राजनीतिक दलों को वोट खोने से बचने के लिये **बेहतर, अधिक सक्षम और नैतिक उम्मीदवारों को नामांकित करने** के लिये प्रोत्साहित करती है।
- **मतदाता असंतोष का संकेत:** NOTA मतों की गणना **निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दलों** के लिये जनता में असंतोष के विषय में एक महत्त्वपूर्ण संकेतक के रूप में कार्य करती है, जिससे **सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता पड़ती है।**
    - यह **भविष्य में सुधारों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है,** जैसे NOTA द्वारा एक सीमा पार करने पर **अनिवार्य रूप से पुनः चुनाव कराना** तथा मतदाता उपस्थिति और डाले गए मतों के आधार पर **न्यूनतम जीतने की सीमा निर्धारित करना।**

NOTA को अनिवार्य रूप से शामिल करने के विपक्ष में तर्क

- **दुर्लभ प्रयोग, कोई चुनावी प्रभाव नहीं:** NOTA का **चुनाव परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि NOTA की गिनती की परवाह किये बिना सबसे अधिक वोट** पाने वाला उम्मीदवार जीत जाता है।
    - **वर्ष 1952 से अब तक** केवल **9 लोकसभा उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं तथा वर्ष 1971 से अब तक** केवल 6 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिससे ऐसे दुर्लभ परिदृश्यों के लिये नियम **काफी हद तक निरर्थक हो गए हैं।**
- **जाति आधारित पूर्वाग्रह:** आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में, उच्च नोटा वोट कभी-कभी **कुछ उम्मीदवारों के खिलाफ जातिगत पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं,** जो इसके इच्छित उद्देश्य को विकृत कर सकते हैं।
- **मतदाता उदासीनता और अविश्वास को बढ़ावा:** अनिवार्य NOTA के कारण **सभी उम्मीदवारों को** बिना किसी सार्थक मूल्यांकन के आकस्मिक रूप से अस्वीकार किया जा सकता है, **जिससे मतदाताओं की महत्त्वपूर्ण भागीदारी कम हो सकती है।**
    - इसके अतिरिक्त, यदि NOTA को पर्याप्त वोट मिल जाते हैं, परंतु उसका कोई चुनावी परिणाम नहीं होता, तो इससे **लोकतांत्रिक प्रक्रिया** और **निर्वाचित सरकार की वैधता में जनता का विश्वास खत्म हो सकता है।**

- **प्रतिनिधि लोकतंत्र को कमज़ोर करता है:** चूँकि NOTA जनादेश को प्रभावित नहीं करता है, इसलिये यह स्पष्ट मतदाता समर्थन सुनिश्चित न करके **प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांत को कमज़ोर कर सकता है।**

आगे की राह

- **विधायी कार्रवाई: उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम मत सीमा** लागू करें, अर्थात यदि NOTA को महत्त्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त होता है (उदाहरण के लिये, 10% से अधिक), तो **पुनः चुनाव अनिवार्य करें।**
  - महाराष्ट्र और हरियाणा **राज्य निर्वाचन आयोगों ने नोटा को 'काल्पनिक उम्मीदवार' मानकर नए सिरे से चुनाव** कराने तथा नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश कायम की है।
- **उम्मीदवार एवं वित्तीय जवाबदेही:** नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को **पुनः चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिये** तथा हारने वाले उम्मीदवारों वाले राजनीतिक दलों को **पुनः चुनाव का खर्च वहन करना चाहिये।**
  - बार-बार मतदान को रोकने के लिये, **ऐसे पुनः मतदानो में NOTA को निष्क्रिय किया जा सकता है।**
- **मतदाता शिक्षा और जागरूकता: मतदाताओं को नोटा के उद्देश्य के बारे में सूचित करने के लिये व्यापक अभियान** चलाएँ तथा यह सुनिश्चित करें कि इसका उपयोग केवल विरोध वोटों से परे **ज़िम्मेदारीपूर्वक किया जाए।**
- **चुनावी सुधारों के साथ पारदर्शिता और एकीकरण:** निर्वाचन आयोग को **नियमित रूप से नोटा मतदान के विस्तृत आँकड़े प्रकाशित करने चाहिये।**
  - नोटा सुधारों को **व्यापक चुनावी सुधारों के साथ जोड़ा जाना चाहिये,** जैसे राजनीति को अपराधमुक्त करना और लोकतांत्रिक जवाबदेही बढ़ाने के लिये पार्टी पारदर्शिता को बढ़ावा देना।

??????? ?????? ???????:

Q. भारतीय चुनावों में नोटा के प्रभाव और चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये तथा इसकी प्रभावशीलता में सुधार के उपाय सुझाएँ।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

??????????

प्रश्न . निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :(2017)

1. भारत का निर्वाचन आयोग पाँच-सदस्यीय निकाय है।
2. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. निर्वाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवाद निपटाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 3

उत्तर: (d)

?????

Q. आदर्श आचार संहिता के विकास के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (2022)

Q. भारत में लोकतंत्र की गुणता को बढ़ाने के लिये भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे किस सीमा तक महत्त्वपूर्ण हैं? (2017)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/compulsory-inclusion-of-nota-in-elections